

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 09/2023-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 फरवरी, 2023

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 57/2000 सीमा-शुल्क, तारीख 8 मई, 2000 जो अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 413(अ), तारीख 8 मई, 2000 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, मैनिसुलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्र.सं. 1 के सामने, स्तंभ (4) में, "11.85%" और " 6.1%" प्रविष्टियों के स्थान पर, "9.35%" प्रविष्टि, दोनों स्थानों पर रखी जाएगी;

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2023 को प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं.334/03/2023-टीआरयू]

(विक्रम विजय वानेरे)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 57/2000-सीमाशुल्क, तारीख 8 मई, 2000 जो संख्यांक सा.का.नि. 413(अ), तारीख 8 मई, 2000 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 48/2022 सीमाशुल्क, तारीख 7 सितंबर, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी, जो संख्यांक सा.का.नि. 688(अ), तारीख 7 सितंबर, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी ।